फर्द अहकाम

Crim-I

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी प्रतिवादी

.... **बनाम** ....

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) .... प्रकरण संख्या– .... / 20...........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री नर्मदाशंकर पिता माणकलाल ब्राह्मण जाति ब्राह्मण निवासी सालिया [illegible] द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री अमेरा पिता देवा पटेल ...जाति पटेल निवासी [illegible] ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 4-12-19 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
4.12.19	पत्रावली पेश हुई वादी [illegible] उपस्थित पत्रावली में [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दि. 13.1.20 [signature]	अमेरा
13-1-20	पत्रावली पेश हुई प्रतिवादी अमेरा की तरफ से अधिवक्ता [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश। वकालतनामा शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते जवाब आगामी दिनांक 17.1.20 को पेश हो। [signature]	[illegible]
17.01.20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है। प्रतिवादी [illegible] उपस्थित है। वादी ने धारा 183, 209 RTA के तहत वाद प्रस्तुत किया कि उनकी भूमि ग्राम सालिया में स्थित होकर जिसकी [signature]	[illegible] प्रार्थी किरण जोशी [signature]

तफसील कलम न. 1 में वर्णित है पर प्रतिवादी [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या ने अतिचार कर लिया है। उक्त भूमि उनकी स्वयं की खातेदारी हक की भूमि है, अतः उक्त हमारी खातेदारी भूमि से बेदखल किया जावे। अपने कथन की ताईद मे वादी ने जमाबन्दी ग्राम सालिया संवत 2070-73, खाता सं. 216 प्रस्तुत की, जो संलग्न पत्रावली है।	
	प्रतिवादी उपस्थित है। उभय पक्षकारान ने उपस्थित न्यायालय हो एक राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा, प्रतिवादी [illegible] ने वादीगण को सिपुर्द कर दिया है, तथा अब उक्त भूमि पर उनका कब्जा नहीं होकर, वादी का कब्जा स्थापित हो गया है, साथ ही यह कथन भी किया की अब के भविष्य मे भी उक्त वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य अथवा अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्योंकि अब कोई विवाद भी नहीं रहा है अतः समझौता डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है,	
	मैंने प्रस्तुत राजीनामा, वादपत्र व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया। क्योंकि अब न्यायालय में दोनों पक्षकारान ने समझौता [illegible] का प्रस्तुत कर लिया है, तथा [illegible] प्रतिवादी ने [illegible] हटा लिया है, [illegible] के अनुसार वादी [illegible] कोई आग्रिम कार्यवाही नहीं चाहे जाने का कथन किया है, अतः इस वाद में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं रहने से, वाद को इसी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... अहकाम जो ... हुक्म की ताम... में जारी हुए
	स्तर पर समझौता पत्र के अनुसार फैसला करता हूं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। दि० लि० [illegible], खुले न्यायालय सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.10.23 12:08:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner